प्रेस नोट
दिनांक 06.07.2024, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 06.07.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में सदर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व मुख्य विकाश अधिकारी श्रीमती अरूण मौली व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत्-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा तहसील कर्नलगंज पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने तहसील पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, तहसीरदार सदर, प्र0नि0 कोतवाली नगर आदि सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 06.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में जनपद गोण्डा प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान -

जनपद के कुल 18 थानों में 15 थानों को संयुक्त रूप से शत् प्रतिशत अंको के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल नेतृत्व में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने पर रैंकिंग में जनपद "गोण्डा को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान" प्राप्त हुआ है। जिसमें जनपद गोण्डा के कुल 18 थानों में से 15 थानों को संयुक्त रूप से शत् प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद गोण्डा को प्रथम स्थान दिलाय गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के कार्यों को सराहा गया तथा इसी प्रकार आगे भी जनशिकायती प्रार्थना पत्रो का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा बताया गया की मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की शासन में प्रतिमाह समीक्षा की जाती है। समीक्षा/फीडबैक के आधार पर ही शासन द्वारा सभी जिलों की रैंकिगं जारी की जाती है। गोण्डा कई बार इस आइजीआरएस रैंकिग में टॉप पर आया है। शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सभी प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का एक समय सीमा निर्धारित होता है। समय सीमा के बाद भी अगर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होता है तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में हो जाता है। शिकायतों के त्वरित और बेहतर निस्तारण पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है।

शिकायतों के निस्तारण कराने वाली जनपदीय टीम का विवरण-

01. आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार
02. का0 विवेक कुमार सिंह
03. म0का0 नम्रता कुशवाहा
04. म0का0 शिखा वर्मा
05. म0का0 नैन्सी गुप्ता
06. म0का0 प्रीति देवी

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 06.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में उपस्थित अधि0/कर्मचारियों व फरियादियों को 03 नये कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी -

आज दिनांक 06.07.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों व फरियादियों को 01 जुलाई 2024 से लागू 03 नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में विस्तर से बताया गया तथा उपस्थित फरियादियों को 03 नये कानूनों के सम्बन्ध में पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

महोदय द्वारा बताया गया की 01 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव हुआ है जैसे हत्या के लिए लगायी जाने वाली धारा 302 अब धारा 101, ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316, हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 हो गयी है। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 हो गयी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत संगठित अपराधों (जैसे – अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, अवैध वसूली, भूमि-हथियाना, आर्थिक लाभ, साइबर अपराध, अनुबन्ध हत्या, व्यक्तियों व नशीले पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी, वैश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी आदि) में सामिल व उनके सहयोगियों को कम से कम 05 वर्ष की कैद व अधिकतम उम्र कैद या मृत्यु दण्ड एवं कम से कम 05 लाख का जुर्माना का प्रवधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना राज्य के किसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को दी जा सकती है चाहे वह अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र में घटित हुआ हो या नही। थाना प्रभारी द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाएगा इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है। नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फॉरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है। ई0- एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होगे। 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फॉरेसिक टीम द्वारा विज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों में अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। अब थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.07.2024, थाना खरगूपर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 185/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र जब्बार निवासी दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना कर्नलगंज पुलिस के द्वारा झालीधाम रोड़ पर चौहट्टा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु मु0अ0सं0- 185/2024, धारा 366 भादवि बनाम आज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 06.07.2024 को वांछित अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र जब्बार निवासी दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा झालीधाम रोड़ पर चौहट्टा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मोहम्मद आसिफ पुत्र जब्बार निवासी दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 185/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सन्तोष कुमार पाण्डेय
02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव
03. का0 अमन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।